कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 252 दिनांकः– 06/3/18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– गिरीडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत A.D.B सम्पोषित पचंम्मा–जमुआ–श्रवण–चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 3.520 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 3413 दिनांक 11.08.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका के पत्रांक 405 एवं 406 दिनांक 16.02.2018 द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका के प्रतिवेदनानुसार गिरीडीह पश्चिमी एवं गिरीडीह पूर्वी वन प्रमंडल से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	शर्त्तें	निराकरण
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– I**
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.520 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	दोनों वन प्रमंडल गिरीडीह पूर्वी एवं पश्चिमी हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.52 हे0 वनभूमि के लिए 6,26,000/– रू0 प्रति हे0 के दर से कुल 22,03,520 (बाइस लाख तीन हजार पाँच सौ बीस) रू0 मात्र e-portal पर चलान जेनरेट कर इसके माध्यम से झारखण्ड Campa खाता संख्या 150726122880400 में जमा कर दिया गया है। **अनु0– II**
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– III**
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा N.P.V की राशि Campa खाता में ही जमा किया गया है। **अनु0– II**

05.3.18

5	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथा संभव कम–से–कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 161 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– V**
6	पथ निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– VI**
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– VII**
8	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– VIII**
9	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp नहीं स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– IX**
10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आप–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– X**
11	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यो के लिए नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– XI**
12	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई है। **अनु0– XII**

05.03.18

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई शर्त्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई है। अनुपालन प्रतिवेदन की दो–दो प्रतियाँ प्रत्येक वन प्रमंडल से इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु अन्तिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0:–यथोक्त।
दो–दो प्रतियाँ।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 252 **दिनांक** 06/3/18

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.03.18

O/C

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

5.3.18

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

झारखण्ड सरकार

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

☎ : - 06542-265440 Email – rccf.bokaro@jharkhandmai.gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 405 / दिनांक : 16/02/2018 /

565
21.2.18

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
—सह—
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास, बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :— **गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत A.D.B सम्पोषित पचम्बा—जमुआ—श्रवण—चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.664 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर दी गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक सहमति से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंग :— **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या—वनभूमि—10/2017—3413, राँची दिनांक 11.08.2017।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह के पत्रांक 209 दिनांक 10.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत A.D.B सम्पोषित पचम्बा—जमुआ—श्रवण— चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.664 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाये गये 12 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0— यथोक्त।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
बोकारो।
16.02.18

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

Email: cfgiridihcir@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक :– 209 गिरिडीह / दिनांक :– 10-02-2018

प्रेषक,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– **गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत A.D.B. सम्पोषित पचम्बा–जमुआ–श्रवण–चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.664 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर दी गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक सहमति से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबध में।**

प्रसंग :– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि–10 / 2017– 3413, राँची दिनांक 11.08.2017 एवं आपका ज्ञापांक–1541 दिनांक–22.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत A.D.B. सम्पोषित पचम्बा–जमुआ–श्रवण–चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.664 हे0 वनभूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि–10 / 2017– 3413, राँची दिनांक 11.08.2017 द्वारा 12 शर्तों के साथ प्रथम चरण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा निम्नवत् समर्पित किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ छः प्रतियों में संलग्न कर समर्पित किया जाता है–

क्र0	सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - I
2.	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सिविल याचिका संख्या– WP(C) 202 / 1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.520 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि 10,41,664.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या– 879145 दिनांक 14.11.2017 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के कार्यालय में दिनांक 22.11.2017 को समर्पित किया गया। परन्तु इसी बीच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 5034 दिनांक 20.11.2017 द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि वनभूमि अपयोजन के मामले में NPV, CA आदि की राशि ऑनलाईन मोड में कैम्पा खाते में जमा की जायेगी, उपरोक्त पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित NPV की राशि 10,41,664.00 का बैंक ड्राफ्ट वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल ने अपने कार्यालय पत्रांक 1845 दिनांक 27.11.2017 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को लौटाते हुए निर्देशानुसार उक्त राशि ऑनलाईन मोड में कैम्पा खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑन लाईन मोड में कैम्पा खाते में राशि जमा कर दी गई है। जिसके रसीद की छाया प्रति संलग्न है। Annexure - II

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बोकारो
सं0 679
दि0 12/2/18

	NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - III
	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - IV
5.	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथा संभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 161 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - V
6.	पथ निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हों सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - VI
7.	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - VII
8.	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - VIII
9.	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–सयम पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आप–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - IX
10.	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - X
11.	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - XI
12.	उपर्युक्त शर्तों में से किसी का अनुपालन नहीं करने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका– 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - XII

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– छः प्रतियों में

आपका विश्वासी

मोहनलाल
16.2.2018

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

झारखण्ड सरकार

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

: - 06542-265440 Email – rccf.bokaro@jharkhandmai.gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 406 / दिनांक : 16/02/2018 /

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास, बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

566
21.2.18

विषय :– **गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत A.D.B सम्पोषित पचम्बा–जमुआ–श्रवण– चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.856 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर दी गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक सहमति से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि–10/2017–3413, राँची दिनांक 11.08.2017।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह के पत्रांक 210 दिनांक 10.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत A.D.B सम्पोषित पचम्बा–जमुआ–श्रवण– चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.856 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाये गये 12 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0– यथोक्त।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
बोकारो।
16.02.18

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

Email: cfgiridihcir@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक :– 210 गिरिडीह/दिनांक :– 10-02-2018

प्रेषक,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– **गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अंतर्गत A.D.B. सम्पोषित पचम्बा–जमुआ–श्रवण–चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.856 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर दी गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक सहमति से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबध में।**

प्रसंग :– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि–10/ 2017– 3413, राँची दिनांक 11.08.2017 एवं आपका ज्ञापांक–1541 दिनांक–22.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अंतर्गत A.D.B. सम्पोषित पचम्बा–जमुआ–श्रवण–चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 1.856 हे0 वनभूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि–10/ 2017– 3413, राँची दिनांक 11.08.2017 द्वारा 12 शर्तों के साथ प्रथम चरण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा निम्नवत् समर्पित किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ छः प्रतियों में संलग्न कर समर्पित किया जाता है–

क्र0	सरकार द्वारा लगायी गयी शर्ते	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - I
2.	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सिविल याचिका संख्या– WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.520 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि 11,61,856.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या– 879146 दिनांक 14.11.2017 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के कार्यालय में दिनांक 22.11.2017 को समर्पित किया गया। परन्तु इसी बीच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 5034 दिनांक 20.11.2017 द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि वनभूमि अपयोजन के मामले में NPV, CA आदि की राशि ऑनलाईन मोड में कैम्पा खाते में जमा की जायेगी। उपरोक्त पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित NPV की राशि 11,61,856.00 का बैंक ड्राफ्ट वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल का पत्रांक– 2431 दिनांक – 30.11.2017 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को लौटाते हुए निर्देशानुसार उक्त राशि ऑनलाईन मोड में कैम्पा खाते में जमा कराते हुए इसकी सूचना देने का निर्देश दिया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑन लाईन मोड में कैम्पा खाते में राशि जमा कर दी गई है। जिसके रसीद की छाया प्रति संलग्न है। Annexure - II

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
रा0 680
दि0 12/2/18

	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता किया गया है। Annexure - III
4.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता सम किया गया है। Annexure - IV
5.	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथा संभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 161 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - V
6.	पथ निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - VI
7.	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - VII
8.	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - VIII
9.	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–सयम पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आप–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - IX
10.	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - X
11.	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - XI
12.	उपर्युक्त शर्तों में से किसी का अनुपालन नहीं करने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका– 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनचबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - XII

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नकः–</u> छः प्रतियों में

आपका विश्वासी

10.2.2018

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।